प्रा0पत्र/ 34/2009 न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मोहनसिंह पुत्र नवलसिंह जाति जाट निवासी अरोदा तहसील नदबई जिला भरतपुर
.....प्रार्थी

बनाम

1—भूमि आवाप्ति अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नदबई जिला भरतपुर
2—परियोजना निदेशक,भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना इकाई एनएच—11 दौसा (राज0

.....अप्रार्थी0

पिटीशन अन्तर्गत धारा 3 जी (6) राष्ट्रीय राज मार्ग अधिनियम 1959.

उपस्थितः—
1—श्री महाराजसिह डांगुर, अभिभाषक प्रार्थी,
2—श्री राधेश्याम जादौन अभिभाषक अप्रार्थी न.2

निर्णय **दिनांक 8—5—2024**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पिटीशन अन्तर्गत धारा 3 जी एन0एच0एक्ट विरुद्व अप्रार्थी इस आश्य का पेश किया जो संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने सड़क निर्माण के लिये आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य के भवन व भूखण्ड जिसकी नाप इस प्रकार हैं — उत्तर में मकान गुलाव चन्द रामसिहं, दक्षिण में 48 फुट इधर राष्ट्रीय राजमार्ग 11, पूर्व में 31 फुट इधर नेशनल हाईवे संख्या 11, पश्चिम में 40 फुट इधर मकान मुन्शी फौजदार है। उक्त भूमिखण्ड आंवटन भूमि खण्ड रहा है जिसकी अधिग्रहण के समय वाजार कीमत 2500 रुपये व वर्गगज रही है इस प्रकार से उक्त भूमिखण्ड की क्षेत्रफल 200 वर्ग गज के लगभग होने से उसकी अनुमानित कीमत 500000/— रुपये से अधिक है। इस भूमिखण्ड पर छोटे बडे कमरे व चौक झीना व एक रसोई पक्की अधिग्रहण से पूर्व बनी हुई थी जिसकी अनुमानित मूल्य 6,72,000/— रुपये तकनीकी विशेषज्ञ के द्वारा बताई गई है जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थीगण के द्वारा अधिग्रहण करने से पूर्व कोई नोटिस आदि नहीं दिया है और ना कोई मुआवजा राशि का भुगतान किया है। इसलिये आवेदक को अप्रार्थीगण से 6,72,000/— रुपये भवन के व 5,00,000/— जमीन के लिये मुआवजा राशि दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण एन.एच. की ओर से जबाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। एस.डी.ओ. (एल.ए.ओ.) नदबई से रिपोर्ट तलब की गई। एस.डी.ओ.(एल.ए.ओ) नदबई से प्राप्त रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक अप्रार्थी एन.एच ने दौराने बहस बताया कि उनकी ओर से लिखित बहस पेश की हुई है।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने तर्को में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि प्रार्थी की जमीन को सड़क चौड़ी करने के लिये भूमि अवाप्ति एन एच द्वारा अधिग्रहण किया गया है। प्रार्थी की अधिग्रहण की गई भूमि में पक्के मकानात निर्माण किया हुआ है जिसका मुआवजा प्रार्थी को नहीं दिया गया है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि प्रार्थी के पक्के मकानात आबादी भूमि में बने हुये हैं उनका मुआवजा बाजारु दर से वाणिज्यक मिलना चाहिये था जो एन.एच. ने नहीं दिया है। प्रार्थी ने अपने निर्माण का वल्यूसेन इन्जीनियर से कराया गया है जिसकी रिर्पोट पेश की हुई है जो पत्रावली में शामिल है। प्रार्थी को अवाप्त की गई भूमि में हो रहे पक्के निर्माण मकानात का मुआवजा भी वल्यूसेन रिपोर्ट के आधार पर दिलाया जावे।

योग्य अभिभाषक एन.एच. ने द्वारा लिखित बहस में विस्तृत विवेचन करते हुये प्रार्थी के कथनों को गलत बताते हुये प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर एवं लिखित बहस पर गौर किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निम्न दो बिन्दू तय किये जाने हैं :-

1- आया प्रार्थी0 की भूमि आवाप्त की गई थी ?
2- आया आवाप्त शुदा रकवा पर प्रार्थी का पक्का निर्माण था ? जिसका मुआवजा वल्यूसेन के आधार पर पाने का हकदार है ?

1- प्रार्थी ने अपने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भूमि अवाप्ति के किसी खसरा नम्बर का कोई उल्लेख नहीं किया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी ने प्रार्थी की भूमि आवाप्त की गई है या नहीं है। भूमि आवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड की प्रति

.....3

2.

जिला कलक्टर
भरतपुर

भी भूमि आवाप्ति के सम्बन्ध पेश नहीं की गई है। जब कि प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों की सत्यता का रिकार्ड से सत्यापन कराने का दायित्व प्रार्थी का है यानि अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर रहता है। इस सम्बन्ध में भूमि आवाप्ति अधिकारी (एस0डी0ओ0) नदबई से रिपोर्ट तलब की गई, भूमि आवाप्ति अधिकारी (एस0डी0ओ0) नदबई से प्राप्त रिपोर्ट पत्रांक/ भू0अवा/21/525 दिनांक 05.02.2021 का अवलोकन किया गया। भूमि आवाप्ति अधिकारी एस.डी.ओ.नदबई ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि :–

> ''.....मुताबिक उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन करने पर पाया कि गजट नोटिफिकेशन संख्या 41 दिनांक 23.4.2007 के अनुसार उक्त खसरा नम्बर 1107 ग्रांम अरौदा का रकबा वाई पास अवार्ड के लिये चिन्हित नहीं किया गया था। उक्त खसरा नं. के सत्यापन के लिये खसरा नं. 1107 जमाबंदी रिपोर्ट में भी उक्त भूमि का पूर्ण रकबा ग्रांम पंचायत हिस्सा पूर्ण आबादी में बताया गया। अतः उक्त रिकार्ड मुताबिक मोहन सिंह पुत्र नवल के खसरा नं. 1107 ग्रांम अरौदा तहसील नदबई की भूमि को एन.एच. 11 के लिये चिन्हित भूमि के उपलब्ध रिकार्ड आधार पर चिन्हित नहीं किया गया था.....।''

भूमि आवाप्ति अधिकारी एस.डी.ओ. नदबई की रिपोर्ट से स्पष्ट है की प्रार्थी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1107 ग्रांम आरौंदा तहसील नदबई सड़क चौडी करण के लिये आवाप्त ही नहीं की गई है।

2– भूमि आवाप्ति अधिकारी (एस0डी0ओ0) नदबई से प्राप्त रिपोर्ट पत्रांक/ भू0अवा/21/525 दिनांक 05.02.2021 के मुताबिक प्रार्थी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1107 ग्रांम आरौंदा आवाप्त ही नहीं की गई है, तो ऐसी स्थिति में उस भूमि पर हो रहे पक्के निर्माण वगे. का मुआवजा दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रार्थी द्वारा भी हमारे समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किया गया है जिससे यह माना जा सके कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1107 ग्रांम आरोंदा को सड़क चौड़ीकरण के लिए आवाप्त किया गया हो। अस्तु प्रार्थना पत्र सारहीन होने से काबिल खारिज के रहता है।

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र (याचिका) खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 8–5–2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर